



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04072026-274094
CG-DL-W-04072026-274094

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4—जुलाई 10, 2026 (आषाढ़ 13, 1948)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4—JULY 10, 2026 (ASADHA 13, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	343	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	647	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	851	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	2243
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	5185
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	343	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	647	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	851	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2243
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	5183
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]****[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की****गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]****[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2026

सं. 9-26/94-यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर दिनांक 15.03.2000 की अधिसूचना संख्या 9-26/94-यू.3 के माध्यम से इलाहाबाद कृषि संस्थान (एएआई), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया था। इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने संस्था के अनुरोध और यूजीसी की सलाह पर दिनांक 22.09.2009 के पत्र संख्या 13-7/2008-यू.3(ए) के माध्यम से “इलाहाबाद कृषि संस्थान” का नाम बदलकर “सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान” कर दिया।

3. और इसके अलावा जबकि, कुलसचिव, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान ने वर्ष 2017 में शिक्षा मंत्रालय से सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान का सम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा वापस लेने का अनुरोध किया था, जिसमें यह सूचित किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 27.12.2016 के वर्ष 2016 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 के माध्यम से उक्त संस्थान को सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया है।

4. और जबकि, तत्कालीन यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 (वर्ष 2016 में यथासंशोधित) के अनुसार संस्थान के अनुरोध पर मंत्रालय में विचार किया गया और यह पाया गया कि यूजीसी विनियमों के विपरीत सम-विश्वविद्यालय संस्थान को राज्य निजी विश्वविद्यालय में बदलने से पूर्व मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

5. और जबकि, जब यह मामला मंत्रालय के विचाराधीन था, तब संस्थान ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (च) के तहत विश्वविद्यालय की सूची में इसका नाम शामिल करने का अनुरोध करते हुए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष वर्ष 2019 में एक रिट याचिका (सी) संख्या 6583 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.10.2025 के अपने आदेश के माध्यम से निदेश दिया कि यूजीसी इस तरह के समावेशन पर विचार करेगा, बशर्ते कि भारत सरकार की ओर से कोई विपरीत पत्र व्यवहार न हो, और यह कि तदनुसार कोई कानूनी बाधा सूचित की जाए।

6. और इसके अलावा जबकि, इस मामले को विधि कार्य विभाग को उनकी विधिक राय के लिए भेजा गया। विधि कार्य विभाग ने राय दी कि इस मामले में कानूनी स्थिति का समाधान हो गया है और यह मामला अब प्रशासनिक प्रकृति का है, ऐसी टिप्पणी करते हुए कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका कार्यान्वयन इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस स्तर पर किसी अतिरिक्त कानूनी राय की आवश्यकता नहीं है।

7. अब इसलिए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर विचार करके, एतद्वारा उक्त संस्थान के अंतिम बैच में प्रवेशित विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के साथ ही दिनांक 15-03-2000 की अपनी अधिसूचना संख्या 9-26/94-यू-3 को वापस लेती है जिसके माध्यम से सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान (पूर्व में इलाहाबाद कृषि संस्थान), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश को सम विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान के प्रमोटर की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा अंतिम बैच के नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा करें; पहले से उत्तीर्ण छात्रों के रिकॉर्ड/सामग्री को संरक्षित करें; सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान से संबंधित आधिकारिक पत्राचार /शिकायतें प्राप्त करें/पावती दें और साथ ही संकाय कर्मचारियों और गैर-संकाय कर्मचारियों जो सैम हिगिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान से जुड़े थे, उनके हितों को सुरक्षित करें।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 16th June 2026

No. 9-26/94-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred under section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-26/94-U.3 dated 15.03.2000, on the advice of UGC, had declared Allahabad Agricultural Institute (AAI), Allahabad, Uttar Pradesh, as an Institution Deemed to be University. Further, the Ministry of Education, on the request of the Institution and on the advice of UGC, rechristened the name of “Allahabad Agricultural Institute” to “Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences”, vide communication No.13-7/2008-U.3(A) dated 22.09.2009.

3. And further whereas, the Registrar, Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences requested in the year 2017 to the Ministry of Education for withdrawal of Institution deemed to be University status of Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences informing that the Government of Uttar Pradesh, vide U.P. Act No. 35 of 2016 dated 27.12.2016, has established the said institution as a State Private University in the name of Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences.

4. And whereas, the request of the Institution was considered in the Ministry as per the then UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 (as amended in 2016) and found that no objection certificate was not obtained from the Ministry before conversion of the Institution deemed to be University into State Private University in contrary to the UGC Regulations.

5. And whereas, while the matter was under consideration of the Ministry, the institution filed a Writ Petition (C) No. 6583 of 2019 before the Hon’ble High Court of Judicature at Allahabad praying for inclusion of its name in the list of University under Section 2(f) of the UGC Act, 1956. The Hon’ble High Court, vide its order dated 28.10.2025, directed that UGC shall consider such inclusion, subject to there being no contrary communication from the Union of India, and that any legal impediment be communicated accordingly.

6. And further whereas, the matter was referred to Department of Legal Affairs for their legal opinion. The Department of Legal Affairs opined that the legal position in the matter is settled and the issue is now administrative in nature, observing that the Hon’ble High Court’s judgment has attained finality and its implementation falls within the domain of this Ministry, with no further legal opinion required at this stage.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, considering the advice of UGC, hereby withdraws its Notification 9-26/94-U.3 dated 15.03.2000 declaring Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences (formerly Allahabad Agricultural Institute), Prayagraj, Uttar Pradesh as an Institution deemed to be University with effect from passing out of the last batch of admitted students. Further, it would be sole responsibility of the promoter of Sam Higginbottom University of Agriculture, Technology and Sciences to safeguard the interest of the last batch of students enrolled by them; to preserve the records / materials of already passed out students; to receive / acknowledge the official communications/grievances related to Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences and also to secure the interest of faculty staff and non-faculty staff who are/were associated with Sam Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Sciences.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary